न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैम्प खेड़

पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथ राम,आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 185/2011

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1 मोहन पुत्र केसाराम जाति माली 2 गणपत पुत्र केसाराम निवासीयान जसोल 3 चम्पालाल पुत्र केसाराम जाति माली निवासी खेड		विरेन्द्र कुमारी के कायम मुकाम व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 1 रामेश्वरी पुत्री स्व. जितेन्द्र सिंह राजपूत निवासी प्लांट नं 61 आर्शिवाद भवन सरदारपुरा, उदयपुर 2 महेश्वरी पुत्री स्व. जितेन्द्रसिंह राजपूत निवासी हिरण मगरी सेक्टर नं.03 राणावत पोल्ट्री फोर्म, उदयपुर 3 उमेश्वरी पुत्री स्व. जितेन्द्रसिंह राजपूत निवासी हरीदासजी मगरा अम्बा माता डाईग्डेन्ट होटल के पास, उदयपुर 4 राजस्थान राज्य जरिये भूमि धारक तहसीलदार पचपदरा 5 जोगाराम पुत्र पीराराम कौम जाट निवासी बालोतरा

वाद हेतु अधिकार घोषणा एवं निषेधाज्ञा व्यादेश

निर्णय

उपस्थित : प्रतिवादी सं. 5 जोगाराम स्वयं दिनांक : 14.06.2018

वादी वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खेड राजस्व ग्राम खेड में कृषि भूमि खसरा नंबर 308 रकबा 11 बीघा 08 विस्वा किस्म रे.दो. वादीगण के एक मात्र कब्जा कास्त की हकीकी आयी हुई है उक्त कृषि भूमि में वादीगण की रहवासी ढाणी पानी का टांका एवं उक्त भूमि के चारों तरफ खेत की सुरक्षार्थ बाड की हुई अवस्थित है चालू जमाबन्दी संख्या 219/181 संवत 2065 से 2068 साथ पेश है।

उपरोक्त वाद ग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 308 रकबा 11 बीघा 06 विस्वा भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 के स्वर्गीय पति एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के स्वर्गीय पिता स्व. जितेन्द्रसिंह की खातेदारी की रही है स्व. जितेन्द्रसिंह को रकम की आवश्यकता होने से उक्त कृषि भूमिपर विगत 30–35 वर्षो से पहले वादीगण के पिता स्व. केसाराम का कब्जा काश्त था एवं बाद में निरन्तर सतत रुप से बिना किसी रोक–टोक के वादीगण का रहा था इसलिए स्व. जितेन्द्रसिंह ने उक्त आराजी पर वादीगण पिता स्व. केसाराम का कदीमी का कब्जा कास्त स्वीकार कर वादग्रस्त कृषि भूमि सप्रतिफल हम वादीगण के हकपूर्वाधिकारी पिता केसाराम को बैचान करना तय किया उक्त भूमि को सप्रतिफल स्व. जितेन्द्रसिंह से खरीदना स्वीकार किया स्व. जितेन्द्रसिंह ने सम्पूर्ण रकम प्राप्त कर वादीगण

(भागीरथ राम)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प- 2018

Scanned by CamScanner

हकपूर्वाधिकारी पिता केसाराम को उक्त भूमि का बैचान वर्ष 1991 में कर दिया और जल्द ही बेचान रजिस्ट्री का विश्वास दिलाकर बेचान के Token स्वरूप असल पास बुक वादीगण को सुपुर्द कर दी। पास बुक पर एक मात्र कब्जा काश्त उपयोग–उपभोग पहले वादीगण के पिता स्व. केसाराम का रहा एवं बाद में हम वादीगण का ही निरन्तर क्रम मे सतत निर्बाध रहा व आज रोज भी उक्त वादग्रस्त भूमि पर हम वादीगण का ही कब्जा है और हमारी रहवासीय ढाणी भी बनी हुई है। स्व. जितेन्द्रसिंह का उक्त कृषि भूमि का बैचान हम वादीगण के हक पूर्वाधिकारी के हक में बैचान करने के बाद अचानक देहान्त हो गया इस कारण उक्त कृषि भूमि को रजिस्ट्री का निष्पादन एवं पंजीकरण हम वादीगण के पक्ष में नहीं करवा सकें। मौके पर कभी भी कोई दखल हस्तक्षेप प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 या उनके हक पूर्वाधिकारी स्व.जितेन्द्रसिंह ने ही अपने जीवनकाल में हम वादीगण को किये गये बैचान के बाद नहीं किया और न उन्हे ऐसा करने का अधिकार ही प्राप्त था वादग्रस्त कृषि भूमि के वास्तविक एवं भौतिक कब्जो से बे–कब्जा हो गये। भूमियों की कीमते बढ जाने की वजह से प्रतिवादीगण की नियत में फर्क आ गया और हम वादीगण के हक पक्ष में बैचान करने से गुरेज करने लगी।

वादीगण की प्रार्थना है कि कृषि भूमि मौका खेड़ खसरा नम्बर 308 रकबा 11 बीघा 06 विस्वा का वादीगण को खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में आवश्यक अमल दरामद किया जावें। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम राजस्व अभिलेख जमाबंदी से हटाए जाकर सुधार की प्रविष्टिया अंकित की जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित किया जावे कि वो वादीगण के कब्जा काश्त में कभी भी एवं किसी भी प्रकार से दखल हस्तक्षेप न तो स्वयं करे न अन्य से करावें तथा वाद का व्यय प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। अन्य उचित आज्ञा अनुतोष जिसका वादीगण हकदार हो और श्री न्यायालय वादीगण के पक्ष में उचित समझे अन्तर्गत धारा 209 रा.का.अ. दिलावे।

वादी वाद दिनांक 16.11.2011 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिवादीगण सं. 1 विरेन्द्रकुमारी ने दिनांक 28.03.2012 को जबाब पेश कर जाहिर किया कि वादी के पद संख्या 1 से 14 को अस्वीकार किया तथा सभी तथ्य झूठे निराधार, मनगढंत,तुच्छ व बेबुनियाद अंकित किये है वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के विरुद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादी अदालत श्री के समक्ष साफ हाथो से नही आये है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 308 रकबा 11 बीघा 6 विस्वा सरहद मौजा खेड़ में वादीगण किसी प्रकार की खातेदारी टिनेन्ट घोषित करवाने के अधिकारी नहीं है प्रतिवादीगण द्वारा क्रेतागण रुपाराम व जोगाराम को खातेदारी भूमि बैचान करने से क्रेतागण के पक्ष मे करने से खातेदारी का म्यूटेशन करवाने के क्रेतागण अधिकारी है जिसमें वादीगण किसी प्रकार का दखल या हस्तक्षेप करने के कतई अधिकारी नहीं है तथा धारा 209 काश्तकारी अधिनियम के तहत वादीगण किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से दावा मय प्रार्थना व अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से दावा काबिल खारिज के है।

वाद ग्रस्त कृषि भूमि के रेकर्डेड खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के हक सीधे तौर से प्रभावित होते है तथा प्रतिवादी संख्या 5 को विधिक नोटीस नहीं दिया गया व न ही दावा में विधिक नोटीस बाबत परामेशन का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिससे दावा विधि अनुसार उल्लेखित प्रावधानो के अनुसार पेश नहीं करने से काबिल खारीज के है वाद ग्रस्त भूमि खसरा नंबर 308 रकबा 11.06 बीधा प्रतिवादीगण 1 ता 4 के पति/पिता स्वर्गीय जितेन्द्रसिंह की पैतृक सम्पति जो जितेन्द्रसिंह का स्वर्गवास होने के बाद प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के कब्जा कास्त में है कृषि भूमि पर वादीगण के पिता का कभी भी निरन्तर कब्जा काश्त नहीं रहा एवं न ही स्वर्गीय जितेन्द्रसिंह द्वारा केसाराम को काश्त

(भागीरथ प्रसा)

Scanned by CamScanner

लिए वादग्रस्त कृषि भूमि सप्रतिफल दी गई न ही स्वर्गीय जितेन्द्रसिंह द्वारा केसाराम को बैचान करना तय किया गया एवं न ही केसाराम द्वारा कभी जितेन्द्रसिंह से वाद ग्रस्त कृषि भूमि खरीद की गई। न ही स्वर्गीय जितेन्द्रसिंह द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि का बैचान प्रतिफल प्राप्त किया एवं न ही बैचान के लिये सन् 1991 में रजिस्ट्री करवाने के लिये कहा और न ही कभी असल पासबुक वादीगण को सुर्पद की गई। बल्कि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की होने से किसी प्रकार का वादीगण हक अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादग्रस्त कृषि भूमि की पासबुक वादीगण द्वारा पटवारी से मिली भगत कर प्राप्त की है। जिसको प्राप्त करने का वादीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है तथा बैचान बाबत किसी प्रकार का कोई एग्रीमेन्ट या रजिस्ट्री लिखत नहीं की है व न ही किसी प्रकार की राशि प्राप्त की है एवं न ही वाद ग्रस्त भूमि पर वादीगण की ढाणियां बनी हुई है तथा न ही ढाणियां बनाने के कताई अधिकारी है। वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पति है। जिससे हक अधिकार प्राप्त करने के वादीगण कतई अधिकारी नहीं है जिससे दावा काबिल खारिज के है। स्वर्गीय जितेन्द्रसिंह द्वारा अपनी पैतृक खातेदारी भूमिया सरहद मौजा खेड़ में अवस्थित है तथा वादीगण को बैचान नहीं की है अगर किसी को बैचार कर दी गई है तो उसी वक्त रजिस्ट्री करवाकर उसके नाम म्यूटेशन करवा दिया गया था। लेकिन वादीगण के वादग्रस्त खातेदारी भूमि कभी भी स्वर्गीय जितेन्द्रसिंह द्वारा बैचान नहीं की गई वादीगण द्वारा वाद पत्र के पद में मनगडंत झूठे तथ्य अंकित किये है वास्तविक व भौतिक कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का है प्रतिवादीगण का निरन्तर कब्जा काश्त होने से वादीगण का विगत 12 वर्षो से भी कही अधिक एवं 20 वर्षो से कब्जा होना बताया है जो बिल्कुल निराधार व झूठा है। तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि पर वादीगण कब्जा प्राप्त करने का कतई अधिकारी नहीं है एवं न ही विधि अनुसार किसी प्रकार का कब्जा करने के हक वादीगण को है,बल्कि प्रतिवादीगण को परेशान करने की नियत से बेबुनियाद दावा पेश किया है। जो काबिल खारिज है वादग्रस्त कृषि भूमि का कभी भी कब्जा कास्त व उपयोग उपभोग नही रहा।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 में अपना जबाब दिनांक 17.05.12 को पेश किया प्रतिवादीगण 2 ता 4 ने अपने जबाब में वाद पत्र के पद संख्या 1 से 14 व इस्तदुआ के पद संख्या 1 ता 5 में अंकित तथ्य झूठे, निराधार, मनगंडत, तुच्छ व बेबुनियाद अंकित किये है वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के विरुद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है वादीगण खसरा नंबर 308 रकबा 11 बीघा 06 विस्वा सरहद मौजा खेड़ में खातेदार टिनेन्ट घोषित करवाने के अधिकारी नहीं है। न ही कोई अन्य अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है दावा काबिल खारिज के है।

उक्त प्रकरण में वादग्रस्त भूमि का बैचान प्रतिवादीगण द्वारा जोगाराम पुत्र पीराराम जाट निवासी बालोतरा को बैचान करने पर जोगाराम द्वारा आर्डर 1 नियम 10 रेड बीथ 151 सी.पी.सीत्र के प्रार्थना पत्र वाद में पक्षकार हेतु पेश किया वादी मोहनलाल ने जबाब दिनांक 05.11.2015 को पेश किया जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी मध्यक्षेप का प्रार्थना पत्र निरर्थक एवं सारहीन होने से व्यय सहित खारिज फरमाया जावे जिस पर दोनो पक्षो की बहस सुन दिनांक 29.09.16 प्रार्थी जोगाराम पुत्र पीराराम कौम जाट निवासी बालोतरा को वाद में पक्षकार बनाये जाने के आदेश प्रदान किये गये पत्रावली वास्ते जबाब रखी गई दिनांक 21.10.2016 को प्रतिवादी की और से प्रार्थना पत्र तहत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के जवाब हेतु वादीगण को दिनांक 02.11.16, 06.12.16, 24.01.17, 16.02.17, 01.03.17, 16.05.17, 27.04.17, 18.05.17, 13.07.17, 16.11.17 अंतिम अवस 21.12.17 कोस्ट पर अंतिम अवसर व वादी वकील के निवेदन पर 24.01.18 को 100/- की कोस्ट पर और अवसर

Scanned by CamScanner

दिया गया तथा 15.02.18 को न्यायहित में 100/– कोरट पर अवसर दिया गया लगातार लम्बे समय तक अवसर देने के बावजूद भी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 का जबाब पेश नहीं किया गया आज भी जबाब पेश नही किया अतः प्रार्थना पत्र के जबाब की स्टेज बंद की गई।

प्रतिवादी वकील की बहस सुनी गई। तथा कैम्प कोर्ट में मजमे आम में पुछताछ की तथा उपस्थित से चर्चा भी की गई जिसमें उक्त भूमि का बैचान होने की अनभिग्यता जाहिर की वादीगण ने खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा मौखिक बेचान एवं निरन्तर कब्जे के आधार पर प्रस्तुत किया गया जबकि मौखिक बैचान के आधार पर खातेदारी देना विधि विरुद्ध है बैचान सम्बन्धि कोई दस्तावेज अथवा निरन्तर कब्जे का कोई सबूत दावे के साथ पेश नहीं किया मौखिक बैचान एवं निरन्तर कब्जा दोनों के आधार पर अनवान दावा कानून से बाधित है।

वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में जमाबंदी पासबुक व रसीद लगान पेश की जो प्रतिवादी 1 के पति व 2 ता 4 के पिता के नाम की है। न की वादीगण के नाम की है। वादीगण ने वाद पत्र में उक्त वाद ग्रस्त भूमि बैचान करना बताया जबकि बैचान रजिस्ट्री या इकरारनामा पेश नहीं किया न ही ऐसे कोई सबूत पेश किया जिससे जाहिर हो कि प्रतिवादी संख्या 1 के पति ने वादीगण के पिता को बैचान या इकरार किया हो। ऐसा कोई सबूत रेकर्ड पर पेश नहीं किया गया वादीगण ने अनवान दावा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रावधानो के तहत यह वाद आधारहीन पाया गया है कोई वाद हेतुक प्रकट नही हुआ है यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है केवल वादी के मौखिक कथन से खातेदारी खारीज कर खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी जोगाराम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद मौखिक कथन पर आधारित होने से आधारहीन पाया गया व कोई वाद हेतुक प्रकट नहीं होने से मौजा खेड़ खसरा नंबर 308 रकबा 11 बीघा 06 विस्वा का वादीगण का वाद खारीज किया जाता है। डिगरी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प खेड़ में खुल न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प–2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प..

भागीरथ राम
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प- 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प..

Scanned by CamScanner